न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 47 / 2022

प्रार्थी : –

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री मानाराम पुत्र श्री कानाजी जाति घांची निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. श्री दलपतराज परमार अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 16.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निंगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 20655 दिनांक 29.01.2013 क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करते समय सरपंच ग्राम पंचायत जनापुर को गलत रूप से अप्रार्थी संख्या एक के रूप में पक्षकार बनाया गया था, परन्तु उपरोक्त विवादित पट्टा सरपंच ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा जारी किए जाने से सरपंच ग्राम नांदिया को अप्रार्थी संख्या एक के रूप में पक्षकार बनाया गया एवं सरपंच ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा भी बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। अतः प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक मे विधि विरूद्ध पारित पट्टा संख्या [illegible] दिनांक 29.01.2013 क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट का नियम 158 राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के तहत जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई [illegible] नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक ने वर्ष 1992 में श्रीमती जशोदा देवी पत्नि श्री मणीलाल को विक्रय विलेख जारी किया गया था एवं वर्तमान में कब्जा भी श्रीमती जशोदा देवी का होने के बावजूद भी उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:47:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दो ने जांच के दौरान अपने बयानों में बताया है कि वह ग्राम पंचायत नांदिया में वार्ड संख्या 05 घांचीवास में बने मकान में परिवार सहित निवास करता है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या दो के ग्राम में अन्य जगह मकान होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को अनुचित लाभ देने की नियत से नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो का उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को अनुचित लाभ देने की नियत से पंचायतीराज नियमों की अवहेलना कर राजरथान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 20655 दिनांक 29.01.2013 क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्तावं लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। यह है कि उक्त भूखण्ड का पट्टा वर्ष 1992 में जशोदा देवी को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि सन् 1992 से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या दो द्वारा श्री जब्बरसिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह निवासी नांदिया से उसकी कब्जेशुदा भूमि को खरीद किया था और करीब 20 वर्ष से अधिक समय से लगातार अप्रार्थी संख्या दो का कब्जा होने से सन् 2013 में नियमानुसार पट्टा जारी किया था। यह है कि श्रीमती जशोदा देवी पत्नि श्री मीठालाल गांव नांदिया में निवास भी नहीं करती है वह पिछले करीब 20 वर्षो से झाडौली में निवास कर रही है ऐसे में जशोदादेवी का कब्जा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है जबकि अप्रार्थी संख्या दो नांदिया में ही निवास कर रहा है और मौके पर उसका ही कब्जा है, परन्तु राजनीतिक द्वेषवश अप्रार्थी संख्या दो का पट्टा निरस्त करवाने हेतु गलत रूप से यह कार्यवाही की है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो का गांव नांदिया में वार्ड संख्या 05 में बना हुआ मकान उसका पुश्तैनी मकान है, जिसमें अप्रार्थी संख्या दो वर्तमान में निवास जरूर करता है परन्तु वह मकान उसके अकेले का नहीं है। उपरोक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अपने मकान निर्माण हेतु ही लिया था, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से वह मकान नहीं बना सका परन्तु उपरोक्त भूखण्ड में अप्रार्थी संख्या दो का झोंपडा बना हुआ है, जिसमें वह अपना कृषि सामान रखता है और उसमें करीब 5 ट्रॉली पत्थर भी लाकर रखे हुए है। यह है कि उक्त प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत जनापुर को गलत पक्षकार बनाया है, जबकि उक्त प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं है और अप्रार्थी संख्या दो का पट्टा रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड दस्तावेज केवल मात्र सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विवादित पट्टा संख्या 20655 दिनांक 29.01.2013 क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार–

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:47:02 IST
Reason: SelfAttested

भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन– (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों,

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23—ग में जारी किया जा सकेगा)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत उन्हीं को पट्टा जारी किया जाता है, जिनके पास स्वयं का गृह स्थल/गृह नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या दो का ग्राम पंचायत नांदिया में अन्य कोई आवासीय मकान उपलब्ध नहीं है, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं न ही इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है एवं न ही इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई कथन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या दो स्वयं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वह गांव नांदिया में वार्ड संख्या 05 घांची वास में बने मकान में परिवार सहित निवास करता है, जिससे यह साबित होता है कि अप्रार्थी संख्या दो के पास पहले से ही स्वयं का मकान था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत भूमिहीन/आवासहीन व्यक्तियों को ही पट्टा जारी किया जाता है, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो के पास पहले से ही स्वयं का मकान था, जो अप्रार्थी संख्या दो स्वयं द्वारा अपने जबाव में स्वीकार किया गया है। अतः इससे यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विवादित पट्टा संख्या 20655 दिनांक 29.01.2013 जारी करने से पूर्व पात्रता की जांच नहीं की गई थी। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव लेकर पट्टा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा प्रस्ताव लेकर तो पट्टा जारी किया गया है, परन्तु उनके द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व अप्रार्थी संख्या दो की पात्रता की जांच नहीं की गई थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के पास स्वयं का गृह स्थल/गृह होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा नियम 158 के तहत विधि विरूद्व पट्टा जारी किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा उक्त वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा पूर्व में श्रीमती जशोदा देवी पत्नि श्री मणीलाल के नाम से पट्टा संख्या 13 दिनांक 03.03.1992 को जारी किया गया था एवं श्री देवाराम गर्ग सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 30.05.2022 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा पूर्व में श्रीमती जशोदा देवी पत्नि श्री मणीलाल के नाम से जारी किया हुआ है एवं वर्तमान में भी उक्त वादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा श्रीमती जशोदा देवी का ही है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा उक्त वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा श्रीमती जशोदा देवी पत्नि श्री मणीलाल के नाम से जारी करने के उपरान्त भी उसी भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या दो के नाम से जारी किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उक्त वादग्रस्त भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या दो द्वारा श्री जब्बरसिंह पुत्र श्री [illegible] वर्ष पूर्व खरीद किया था, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा [illegible] कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य [illegible] होता हो कि उक्त वादग्रस्त भूखण्ड को अप्रार्थी [illegible] पुत्र श्री उम्मेदसिंह से क्रय किया गया था। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उक्त विवादित पट्टा रजिस्टर्ड है एवं रजिस्टर्ड दस्तावेज को सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में भी किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो यह साबित करता हो कि उक्त विवादित पट्टे को अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:47:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

करवाया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे है कि उक्त विवादित पट्टा रजिस्टर्ड पट्टा है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टे को न्याय संगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अपार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 20655 दिनांक 29.01.2013 क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:47:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner